राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

सं. एफ.4(7)अमे/रूल्स/लीगल/पीआर/2012/136 जयपुर, दिनांक 11-2-2013

अधिसूचना

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 को और संशोधित करने के लिये इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 159 का संशोधन.- राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 159 के विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(2) पंचायत-

(i) नियम 152 के उप-नियम(5) में यथा-वर्णित बाज़ार कीमत के 50% पर प्राथमिक कृषिक सहकारी सोसाइटी/बड़ी बहूद्देशीय विपणन सोसाइटी को;

(ii) राज्य सरकार द्वारा पुष्टिकरण के अध्यधीन रहते हुए ग्राम सेवा सहकारी समिति या क्रय विक्रय सहकारी समिति को निःशुल्क,

गोदामों/कार्यालयों के संनिर्माण के लिए, पूर्विकता के आधार पर, आबादी क्षेत्र में 1500 वर्गगज तक के भूखण्डों का आवंटन भी कर सकेगी।"

राज्यपाल के नाम और आदेश से,
(किशन लाल बांडेटिया)
शासन उप सचिव।